भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 909

बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नए उद्योगों की स्थापना

909. श्री जी. सेल्वमः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्रीमती मंजुलता मंडलः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कर्नाटक में नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त राज्यों में नए उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उपरोक्त राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग शुरू करने और स्थापित करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार उक्त राज्यों में नए उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (ङ): उद्योगों की स्थापना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, केंद्र सरकार देशभर में औद्योगिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से उचित नीतिगत उपायों के जरिए देश के समग्र औद्योगिक विकास हेतु सक्षम इकोसिस्टम प्रदान करती है।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक, परियोजना मॉनी टरिंग समूह (पीएमजी), एफडीआई में सुधार करना, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम

(आईएफएलडीपी) स्कीम इत्यादि। निवेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में, संबंधित राज्य सरकार (सरकारें) भूमि प्रदान करती है और भारत सरकार वॉक-टु-वर्क अवधारणा पर आधारित तैयार अवसंरचना वाली ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी के विकास के लिए इसी के बराबर इक्विटी जारी करती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में परियोजना विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**परियोजना**	**प्रयोजन**	**जारी की गई निधियां**
1.	महाराष्ट्र	शेंद्रा-बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए)	इक्विटी	747.30
2.	कर्नाटक	तुमकुरू	इक्विटी	584.24
		कुल		**1,331.54**

इसके अलावा, भारत सरकार ने आईएफएलडीपी के तहत उप-स्कीम के भाग के रूप में मेगा लेदर फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय अवसंरचना और उत्पादन श्रृंखला का इस प्रकार से एकीकरण करना है कि इससे तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में चमड़ा और घरेलू फुटवियर उद्योग तथा निर्यात बाजार की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	**स्थान**	**कुल परियोजना लागत**	**भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता**
तमिलनाडु	पनपक्कम, रानीपेट	271.33 करोड़ रुपए	125 करोड़ रुपए
महाराष्ट्र	रतवाड़ गांव	256.42 करोड़ रुपए	125 करोड़ रुपए

*****